अध्याय – II
निष्पादन लेखापरीक्षा

पंचायती राज विभाग

2.1 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की प्राप्ति एवं उपयोगिता

कार्यकारी सारांश

क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2006–07 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.) की परिकल्पना की गयी। यह कार्यक्रम बिहार के 37 जिलों में, सिवान जिले को छोड़कर जिसने वर्ष 2012–13 से अनुदान प्राप्त किया, 2006–07 से प्रारंभ किया गया था।

वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए 'पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पि.क्षे.अ.नि. की प्राप्ति एवं उपयोगिता' पर एक निष्पादन लेखा परीक्षा 10 नमूना जांचित जिलों के 10 जिला परिषदों, 30 पंचायत समितियों एवं 96 ग्राम पंचायतों में अप्रैल से अगस्त 2015 के दौरान किया गया तथा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:

वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए ₹ 186 करोड़ के क्षमता निर्माण अनुदान की कुल हकदारी के विरूद्ध पंचायती राज मंत्रालय (पं.रा.मं.), भारत सरकार ने बिहार को वर्ष 2010–11 में मात्र ₹ 31.34 करोड़ विमुक्त किया। ऐसा वर्ष 2011–15 के दौरान पंचायती राज सस्थाओं (पं.रा.सं) से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने, पंचायती राज विभाग द्वारा अनुदानों के उपयोग से कराए गए कार्यों से संबंधित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किए जाने एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किए जाने के कारण हुआ, जिसके कारण राज्य ₹ 154.66 करोड़ से वंचित रहा। ***(कंडिका 2.1.6.1)***

विलंब से माँग प्रेषण एवं पं.रा.मं. द्वारा पि.क्षे.अ.नि. कार्यक्रम के पुनरीक्षित प्राक्कलन में निधि की कटौती के कारण वर्ष 2010–15 के दौरान ₹ 3,538.46 करोड़ के विकास अनुदान की हकदारी के विरूद्ध राज्य ₹ 2,194.40 करोड़ अनुदान ही प्राप्त कर सका। परिणामतः राज्य ₹ 1,344.06 करोड़ के विकास अनुदान से वंचित रहा। ***(कंडिका 2.1.6.1)***

दस नमूना जांचित जिला परिषदों में राज्य सरकार द्वारा जिला परिषदों को विकास अनुदान की ₹ 370.97 करोड़ निधि के स्थानांतरण में 5 दिन (मधेपुरा) से 157 दिन (औरंगाबाद) का बिलंब था। तथापि, राज्य सरकार विलंब हेतु ₹ 1.34 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने में विफल रही। ***(कंडिका 2.1.6.1)***

दस नमूना जांचित जिला परिषदें कार्यक्रम को लागू करने हेतु पंचायतों को आवश्यक कर्मी उपलब्ध कराने के लिए ₹ 32.44 करोड़ (विकास अनुदान का पांच प्रतिशत) की निधि को कर्णांकित करने में विफल रहीं। ***(कंडिका 2.1.6.1)***

वर्ष 2010–15 के दौरान आठ जिला परिषदों द्वारा निचले स्तर की पं.रा.सं. को ₹168.74 करोड़ के अनुदान की विमुक्ति में एक से पांच माह का विलंब था। ***(कंडिका 2.1.6.2 से 2.1.6.5, 2.1.6.7, 2.1.6.8, 2.1.6.10, 2.1.6.11)***

छः जिला परिषदों द्वारा ₹ 10.65 करोड़ के पि.क्षे.अ.नि. अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के निचले स्तर को स्थानांतरित नहीं किया गया एवं तीन जिला परिषदों द्वारा ₹ 1.77 करोड़ का अधिक स्थानांतरण किया गया। ***(कंडिका 2.1.6.2, 2.1.6.4, 2.1.6.5, 2.1.6.8 से 2.1.6.11)***

आयोजना

बिहार सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति, क्षमता निर्माण अनुदान के उपयोग के निगरानी में विफल रही। ***(कंडिका 2.1.7.1)***

बेस लाइन सर्वे एवं दृष्टिकोण पत्र तथा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार होने के बावजूद नमूना जांचित 10 जिला परिषद्ों में वार्षिक कार्य योजना पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रस्तावों के आधार पर तैयार किया गया था। ***(कंडिका 2.1.7.1)***

दस नमूना जांचित जिला परिषद्ों में समेकित जिला योजना तैयार नहीं की गयी। केवल पि.क्षे.अ.नि. की विशेष वार्षिक योजनाएँ तैयार की गयी। ***(कंडिका 2.1.7.1)***

चार जिला परिषदों में ₹ 1.68 करोड़ के 102 कार्यों को 2010–15 में जिला योजना समिति/जिला परिषद् द्वारा पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं में शामिल की गयी थीं। ***(कंडिका 2.1.7.2, 2.1.7.3, 2.1.7.7, 2.1.7.10)***

दस नमूना जांचित जिला परिषद्ों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कार्यान्वित 402 कार्यों में से मात्र 23 कार्य प्राथमिकता वाले खंड/क्षेत्र से ली गयी थीं। ***(कंडिका 2.1.7.2 से 2.1.7.11)***

विकास अनुदान/क्षमता निर्माण अनुदान की उपयोगिता

वार्षिक कार्य योजना में सड़कों, नालों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित 1001 अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वयन ₹ 8.29 करोड़ के अनुदान की उपलब्धता के बावजूद तीन जिला परिषद्ों (2011–12 एवं 2014–15), नौ पंचायत समितियों (2011–15) एवं 47 ग्राम पंचायतों (2011–15) द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया। ***(कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.10)***

दो जिला परिषद्ों, 10 पंचायत समितियों एवं 26 ग्राम पंचायतों द्वारा ₹ 7.29 करोड़ के 292 ऐसे कार्य कराये गए जो वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं थे। ***(कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.8, 2.1.8.9 से 2.1.8.11)***

पाँच जिला परिषद्ों, पाँच पंचायत समितियों एवं तीन ग्राम पंचायतों द्वारा अअनुमत्य कार्यों पर ₹ 68.61 लाख का व्यय किया गया। ***(कंडिका 2.1.8.3 से 2.1.8.5, 2.1.8.8 से 2.1.8.10)***

दो पंचायत समितियों एवं 18 ग्राम पंचायतों द्वारा उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिए ₹ 1.54 करोड़ के 24 कार्यों को 111 कार्यों में विभाजित किया गया। ***(कंडिका 2.1.8.3, 2.1.8.4, 2.1.8.6, 2.1.8.8 एवं 2.1.8.10)***

आठ जिला परिषद्ों, 20 पंचायत समितियों एवं 23 ग्राम पंचायतों में ₹ 6.20 करोड़ का अग्रिम एक से सात वर्षों तक असमायोजित था। ***(कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.3, 2.1.8.5 से 2.1.8.10)***

आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी

दो जिला परिषद्ों एवं दो पंचायत समितियों में रोकड़बही का अंतशेष बैंक पासबुक के अंतशेष से अधिक था जबकि दो जिला परिषदों एवं 15 पंचायत समितियों में बैंक पास बुक का अंतशेष रोकड़बही के अंतशेष से अधिक था। ***(कंडिका 2.1.10)***

दस नमूना जांचित जिला परिषद्ों में से किसी में भी सहयोगी समीक्षा, गुणवत्ता निगरानी प्रणाली एवं सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया। ***(कंडिका 2.1.10)***

2.1.1 परिचय

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.) कार्यक्रम की परिकल्पना देश के विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2006–07 में की गयी। यह कार्यक्रम सिवान जिला जो वर्ष 2012–13 से अनुदान प्राप्त किया था, को छोड़कर बिहार के 37 पि.क्षे.अ.नि. जिलों में 2006–07 से लागू किया गया।

पि.क्षे.अ.नि. में पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) में आयोजना, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, लेखांकन तथा जबावदेही एवं पारदर्शिता में सुधार के लिए क्षमता निर्माण अनुदान (क्ष.नि.अ.) तथा पिछड़े क्षेत्र में स्थानीय आधारभूत ढांचे और विकास संबंधी अन्य आवश्यकताओं की नाजुक कड़ियों को जोड़कर विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु विकास अनुदान (वि.अ.) की व्यवस्था थी।

राज्य में प्रत्येक जिला के लिए क्ष.नि.अ. प्रति वर्ष ₹ एक करोड़ था। वि.अ. के अंतर्गत प्रत्येक जिला विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर दो किस्तों में अनुदान प्राप्त करने का हकदार था। जबकि, प्रत्येक जिले को वि.अ. की एक नियत न्यूनतम राशि ₹ 10 करोड़ प्रति वर्ष प्राप्त होना था।

2.1.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि;

- कार्यक्रम का वित्तीय प्रबंधन प्रभावपूर्ण था;
- सहभागितापूर्ण एवं समग्र योजना प्रक्रिया पर्याप्त एवं प्रभावी थी;
- लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विकास एवं क्षमता निर्माण अनुदान का उपयोग प्रभावी था;
- विभिन्न स्तरों पर विद्यमान निगरानी प्रणाली प्रभावी थी।

2.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

योजना की समीक्षा के लिए अपनाए गए मानदंडों के स्रोत थेः

- पि.क्षे.अ.नि. कार्यक्रम की मार्गदर्शिका तथा भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा निर्गत आदेश;
- बिहार वित्तीय नियम (बि.वि.नि.) 2005/बिहार कोषागार संहिता (बि.को.सं.) 2011;
- बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता;
- बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियमावली 1964;
- बिहार पंचायती राज अधिनियम (बि.पं.रा.अ.) 2006।

2.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

वर्ष 2010–15 के दौरान पं.रा.सं. द्वारा पि.क्षे.अ.नि. अनुदानों की प्राप्ति एवं उपयोगिता पर नि.ले.प. सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट प्रणाली के आधार पर चयनित बिहार के 38 जिलों में से 10[21] जिलों के 10 जिला परिषदों (जि.प.), 30 पंचायत समितियों (पं.स.) एवं 96 ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) में अप्रैल से अगस्त 2015 के दौरान किया गया ***(परिशिष्ट 2.1)***।

प्रधान सचिव, पं.रा.वि., बिहार सरकार के साथ अंतर्गमन सम्मेलन मार्च 2015 में आयोजित किया गया था जिसमें नि.ले.प. के उद्देश्य, क्षेत्र एवं इसमें अपनायी जाने

[21] *औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, कटिहार, लखीसराय, मधेपुरा, पटना, सहरसा, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी*

वाली कार्यविधि की चर्चा की गयी। नि.ले.प. के दौरान विभिन्न अभिलेखों यथाः रोकड़बही, बैंक पासबुक, कार्य मार्गदर्शिका, उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.), योजना संचिकाओं/पंजियों इत्यादि की नमूना जांच के साथ–साथ कुछ चयनित कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। प्रधान सचिव के साथ 28 दिसंबर 2015 को संपन्न निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गयी। विभाग एवं लेखापरीक्षित इकाईयों की अनुक्रिया को प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

2.1.5 संगठनात्मक ढांचा

राज्य में पि.क्षे.अ.नि. कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग (पं.रा.वि.) के पूर्ण पर्यवेक्षण में किया गया था। राज्य में पि.क्षे.अ.नि. के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार हैः

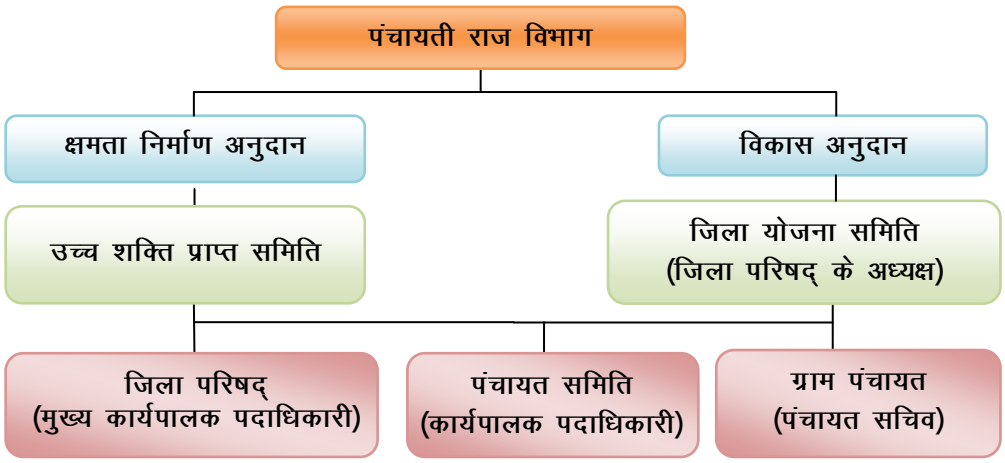

(स्रोतः बि.पं.रा.अ., 2006 एवं पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका)

2.1.6 वित्तीय प्रबंधन

2.1.6.1 पंचायती राज विभाग

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

वर्ष 2010–15 की अवधि में क्षमता निर्माण अनुदान एवं विकास अनुदान के विमुक्ति की स्थिति नीचे **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है :

तालिका – 2.1 : पं.रा.सं. को अनुदान की हकदारी एवं विमुक्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान की हकदारी		पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विमुक्त अनुदान		अनुदान की कम विमुक्ति	
	क्ष. नि. अ.	वि. अ.	क्ष. नि. अ.	वि. अ.	क्ष. नि. अ. (प्रतिशत)	वि.अ. (प्रतिशत)
2010–11	36.00	602.99	31.34	602.99	4.66 (13)	0.00 (0)
2011–12	36.00	652.05	0.00	454.99	36.00 (100)	197.06 (30)
2012–13	38.00	684.70	0.00	444.10	38.00 (100)	240.60 (35)
2013–14	38.00	839.80	0.00	485.80	38.00 (100)	354.00 (42)
2014–15	38.00	758.92	0.00	206.52	38.00 (100)	552.40 (73)
कुल	**186.00**	**3538.46**	**31.34**	**2194.40**	**154.66**	**1344.06**

(स्रोतः पं.रा.मं. एवं पं.रा.वि. से प्राप्त सूचना)

तालिका 2.1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 की अवधि में क्ष.नि.अ. की 13 प्रतिशत की कम विमुक्ति हुई एवं 2011–15 की अवधि में क्षमता निर्माण अनुदान की विमुक्ति

नहीं हुई। साथ ही, राज्य को पांच में से चार वर्षों में विकास अनुदान भी 30 प्रतिशत (2011–12) से 73 प्रतिशत (2014–15) कम विमुक्ति की गई।

क्षमता निर्माण अनुदान की कम विमुक्ति का कारण पंचायती राज सस्थाओं (पं.रा.सं.) से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होना, पंचायती राज विभाग द्वारा अनुदानों के उपयोग से कराए गए कार्यों से संबंधित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया जाना एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जाना था जिसके परिणामस्वरूप राज्य वर्ष 2010–15 के दौरान ₹ 154.66 करोड़ से वंचित रहा। वहीं विलंब से माँग के प्रेषण एवं पं.रा.मं. द्वारा पि.क्षे.अ.नि. कार्यक्रम के पुनरीक्षित प्राक्कलन में निधि की कटौती के कारण वि.अ. की कम प्राप्ति हुई।

आगे, सैंतीस जि.प. में से 2011–12 में 29 जि.प. एवं 2012–13 में 38 जि.प. में से 26 जि.प. को वि.अ. की ₹ 437.66 करोड़ की द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त नहीं हुई। यह भी देखा गया कि वर्ष 2013–14 में 38 जि.प. में से तीन जि.प. एवं 2014–15 में 24 जि.प. को वि.अ. की प्रथम किस्त की क्रमशः ₹ 80.57 करोड़ एवं ₹ 478.57 करोड़ राशि प्राप्त नहीं हुई जबकि 2013–15 में वि.अ. की द्वितीय किस्त की राशि किसी भी जि.प. को विमुक्त नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा समर्पित उ.प्र.प. के अनुसार क्ष.नि.अ. के अंतर्गत 2010–11 में विमुक्त ₹ 31.34 करोड़ में से ₹ 15.03 करोड़ का व्यय दिखाया गया तथा राज्य कोषागार में ₹ 13.72 करोड़ जमा किया गया। शेष ₹ 2.59 करोड़ संबंधित पं.रा.सं. के खाता में जमा थी।

नमूना जांचित 10 जि.प. में क्ष.नि.अ. की 2010–15 की अवधि के लिए ₹ 50 करोड़ की हकदारी के विरूद्ध मात्र ₹ 4.79 करोड़ 2010–11 के दौरान जि.प. को प्राप्त हुआ और आगामी वर्षों में पि.क्षे.अ.नि. की राशि विमुक्त नहीं हुई।

नमूना जांचित 10 जि.प. में 2010–15 के लिए वि.अ. की ₹ 971.13 करोड़ की हकदारी के विरूद्ध मात्र ₹ 381.93 करोड़ की कम/नहीं विमुक्ति हुई ***(परिशिष्ट 2.2)***।

अनुदानों का बिलंब से स्थानांतरण के कारण ब्याज का भुगतान

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के मार्गदर्शिका के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राज्यों/विभागों को विमुक्त राशि प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर कार्यान्वयन अभिकरण (का.अ.) को स्थानांतरित होना चाहिए। स्थानांनरण में बिलंब की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान का.अ. को होना चाहिए था।

नमूना जांचित 10 जि.प. में ₹ 370.97 करोड़ के वि.अ. के स्थानांतरण में पांच दिनों (मधेपुरा) से 157 दिनों (औरंगाबाद) का बिलंब किया गया था। परंतु, राज्य सरकार ₹1.34 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने में विफल रही ***(परिशिष्ट–2.3)***।

पंचायती राज विभाग द्वारा बताया गया कि आम चुनाव में लागू आदर्श चुनाव संहिता के कारण राशि स्थानांतरण में बिलंब हुआ। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आम चुनाव 2010–11 में था जबकि बिलंब सभी पांच वर्षों में पाया गया।

विकास अनुदान के पांच प्रतिशत को कर्णांकित किया जाना

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के मार्गदर्शिका के अनुसार, विकास निधि की पांच प्रतिशत राशि आयोजना एवं कार्यान्वयन के लिए पंचायतों को आवश्यक कर्मी उपलब्ध कराने के लिए कर्णांकित किया जाना था। लेकिन, नमूना जांचित 10 जि.प. में विकास अनुदान ₹ 648.91 करोड़ का पांच प्रतिशत अर्थात् ₹ 32.44 करोड़ इस मद में कर्णांकित नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट–2.4)***। परिणामतः, पंचायत स्तर पर कर्मियों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई और कार्यक्रम का कार्यान्वयन बाधित हुआ।

केंद्रीय अनुदान की प्रत्याशा में अनुदानों की विमुक्ति

पंचायती राज विभाग अनुदान प्राप्ति के पूर्व ही जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पं.रा.मं. से विमुक्त होने वाले निधि के प्रत्याशा में जिलों को अनुदान विमुक्त (2012–13 से) किया गया जिसे पं.रा.मं. से जिलों को बाद में विमुक्त निधियों से समायोजित किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पं.रा.मं. को प्रस्ताव सौंपे जाने में बिलंब के कारण बजट में कर्णांकित अनुदान की राशि पुनरीक्षित प्राक्कलन के समय घटा दी गयी (2012–15)। फलतः, 2013–15 में पं.रा.वि. द्वारा विमुक्त ₹ 223.61 करोड़ वर्ष 2014–15 तक असमायोजित रहा। निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, पं.रा.वि. के द्वारा बताया गया कि असमायोजित अनुदान को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता राशि के रूप में माने जाने हेतु वित्त विभाग के अनुमोदन से कैबिनेट की सहमति ली जाएगी।

पं.रा.सं. के निचले स्तरों को कार्यों का आवंटन

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की मार्गदर्शिका के अनुसार, यदि पंचायत का उच्चतर स्तर यथा जि.प. अथवा पं.स. विहित प्रत्येक कार्य के लिए ₹ पांच लाख की न्यूनत्तम सीमा से कम राशि के कार्य को स्वीकृत करता है तो वह उस कार्य के लिए आवंटित राशि को संबंधित ग्रा.पं. को कार्यान्वयन हेतु स्थानांतरित करेगा। परंतु, नमूना जांचित किसी भी जि.प. द्वारा विहित न्यूनत्तम सीमा से कम राशि के 1292 कार्य (₹ 32.86 करोड़) ग्रा. पं. को स्थानांतरित नहीं किया गया ***(परिशिष्ट–2.5)***। निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, पं.रा.वि. के द्वारा बताया गया कि वित्तीय अधीनस्थता वांछनीय था, अनिवार्य नहीं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मार्गदर्शिका के अनुसार विहित न्यूनत्तम सीमा से कम राशि का कार्य पंचायत के उपयुक्त स्तर द्वारा किया जाना चाहिए था।

2.1.6.2 जिला परिषद औरंगाबाद

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पं.रा.मं. के निर्देशानुसार प्रथम किस्त, जो जिला को प्राप्त होने वाली राशि का 90 प्रतिशत है, की विमुक्ति प्रारंभिक शेष के पूर्व वर्ष में उपलब्ध राशि के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होने पर एवं द्वितीय किस्त अर्थात् 10 प्रतिशत की विमुक्ति 60 प्रतिशत उ.प्र.प., गबन व विचलन नहीं होने का प्रमाण पत्र के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् किया जाना था।

पं.रा.मं. द्वारा वि.अ. की आवंटित राशि ₹ 95.34 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 45.91 करोड़ की ही विमुक्ति की गयी जिसके कारण 2010–15 में ₹ 49.43 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई। ऐसा पूर्व के वर्ष में वि.अ. की राशि के 60 प्रतिशत का उपयोग नहीं करने के कारण हुआ।

पं.रा.सं. के निचले स्तर को अनुदान की विमुक्ति

विकास अनुदान की संस्वीकृति पत्रों के अनुसार जि.प. को तत्काल पं.रा.सं. के निचले स्तर की संस्थाओं को अनुदान का स्थानांतरण करना था जबकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 28.30 करोड़ की अनुदान को विमुक्त करने में एक से पांच माह का बिलंब किया गया ***(परिशिष्ट–2.6)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था और पंचायतों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि स्थानांतरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

अनुदानों का स्थानांतरण

जिला परिषदों द्वारा पं.रा.सं. के निचले स्तर को निधि की विमुक्ति, अनुदान संस्वीकृति पत्र के अनुसार करना चाहिए जो अनुसूचित जाति (अ.जा.) के विशेष योजना घटक

एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के उपयोजना की राशि सहित अनुदान की राशि को स्पष्ट इंगित करता है।

अनुसूचित जाति के विशेष योजना घटक एवं अ.ज.जा. उपयोजना से संबंधित वि.अ. की ₹ 8.74 लाख का अनुदान पं.स. रफीगंज एवं पांच ग्रा.पं. (भदवा, चेव, छावड़ा, ढोसिला एवं लोहरा) को जि.प. द्वारा स्थानांतरित किया गया था परंतु एक से तीन वर्ष पश्चात् भी संबंधित पं.रा.सं. के खाते में जमा नहीं हुआ था ***(परिशिष्ट–2.7)***। कार्यपालक पदाधिकारी एवं संबंधित पंचायत सचिवों द्वारा बताया गया कि बैंक एवं जि.प. से इस संबंध में सूचना प्राप्त की जाएगी।

जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि की उपयोगिता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मार्गदर्शिका के अनुसार जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को योजना का अतिरिक्त संसाधन माना जाना चाहिए। वर्ष 2010–15 की अवधि में जि.प. द्वारा जिला अभियंता (जि.अ.) को ₹ 5.93 करोड़ कार्यों के कार्यान्वयन के लिये उपलब्ध कराया गया था तथा इस पर अर्जित ब्याज की राशि ₹ 6.60 लाख को जि.प. को लौटाया जाना था। परंतु, जि.अ. द्वारा ब्याज राशि वापस नहीं की गयी और यह राशि जि.अ. के खाते में अनुपयोगित पड़ी हुई थी। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि जि.प. को राशि लौटाने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

उपयोगिता प्रमाण पत्र

मार्गदर्शिका के अनुसार नोडल विभाग प्रत्येक पंचायत की उ.प्र.प. की विवरणी को संधारित करने हेतु उत्तरदायी होगा एवं राशि की विमुक्ति के एक वर्ष के अंदर उ.प्र.प. समर्पित करना होगा।

पंचायती राज मंत्रालय को प्रेषित किए गए उ.प्र.प. एवं चाटर्ड एकाउंटेंट के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जाँच में पाया गया कि जि.प. द्वारा वर्ष 2010–11 एवं 2013–14 (अ.जा. के विशेष घटक) में वि.अ. की ₹ 18.06 करोड़ के व्यय के विरूद्ध ₹ 22.03 करोड़ एवं 2013–14 (गैर अ.जा. के विशेष योजना घटक/अ.ज.जा. उपयोजना) में ₹ 6.70 करोड़ के व्यय के विरूद्ध ₹ 4.02 करोड़ का उ.प्र.प. समर्पित किया गया ***(परिशिष्ट–2.10)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया गया कि सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।

2.1.6.3 जिला परिषद् भागलपुर

पूर्व की ***कंडिका 2.1.6.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पं.रा.मं. द्वारा जि.प. को वि.अ. की हिस्से की राशि ₹ 97.99 करोड़ के विरूद्ध ₹ 42.06 करोड़ की विमुक्ति की गयी जिसके फलस्वरूप 2010–15 में ₹ 55.93 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई जिसका कारण पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करना था।

पं.रा.सं. के निचले स्तर को अनुदान की विमुक्ति

वर्ष 2010–15 की अवधि में जि.प. द्वारा पं.रा.सं. को वि.अ. की ₹ 29.83 करोड़ के अनुदान को विमुक्त करने में एक से दो माह का बिलंब किया गया ***(परिशिष्ट–2.6)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था और पंचायतों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि स्थानांतरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

अनुदानों का स्थानांतरण

जिला परिषद् द्वारा वि.अ. के अ.ज.जा. उपयोजना घटक की ₹ 10.89 लाख राशि को अनियमित रूप से वैसे 48 ग्रा.पं. जहां अ.ज.जा. की आबादी नहीं थी, को अनियमित रूप से स्थानांतरित किया गया ***(परिशिष्ट–2.9)***। साथ ही अ.जा. की विशेष घटक

योजना एवं अ.ज.जा. उपयोजना घटक की राशि ₹ 43.77 लाख की राशि को दो पं.स. एवं 119 ग्रा.पं. में गैर–अ.जा./अ.ज.जा. के घटक में विचलन किया गया (2013–14)।

अनुदानों की उपयोगिता

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 343 के अनुसार अनुदानों का उपयोग एक सही समय सीमा के अंदर लक्ष्य पर व्यय कर लेना चाहिए। परंतु, 2007–08 एवं 2009–10 के दौरान प्राप्त ₹ 1.07 करोड़ की राशि जि.प. की व्यक्तिगत लेजर खाता में पांच वर्षों से अधिक समय से अनुपयोगित पड़ी थी। मु.का.प., जि.प. द्वारा बताया गया कि कोषागार से राशि निकालने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राज्य में पि.क्षे.अ.नि. कार्यक्रम 2015–16 के दौरान बंद कर दिया गया था।

उपयोगिता प्रमाण पत्र

जि.प. द्वारा वर्ष 2010–12 में ₹ 28.33 करोड़ व्यय के विरूद्ध ₹ 33.93 करोड़ का उ.प्र.प. समर्पित किया गया और वर्ष 2013–14 में व्यय किए गए ₹ 12.20 करोड़ के वि.अ. का उ.प्र.प. समर्पित नहीं किया गया ***(परिशिष्ट–2.10)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

2.1.6.4 जिला परिषद् भोजपुर

पूर्व की ***कंडिका 2.1.6.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पं.रा.मं. द्वारा जि.प. को वि.अ. की हिस्से की राशि ₹ 94.74 करोड़ के विरूद्ध ₹ 67.30 करोड़ की विमुक्ति की गयी जिसके कारण 2010–15 में ₹ 27.44 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई। इसका कारण पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करना था।

अनुदानों का लेखांकन

बिहार कोषागार संहिता के नियम 16 के अनुसार प्राप्ति अथवा भुगतान की प्रत्येक राशि के साथ–साथ स्थानांतरण द्वारा किए गए सभी समायोजन को रोकड़बही में प्रविष्टी की जानी चाहिए।

जिला परिषद् की रोकड़बही में केवल अपने हिस्से की राशि को ही रोकड़बही में प्रविष्ट किया जाता था और पं.स. तथा ग्रा.पं. के लिए 2010–15 (द्वितीय किस्त) की राशि ₹ 48.61 करोड़ को जि.प. द्वारा अपने रोकड़बही में दर्ज नहीं किया गया। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि पं.रा.सं. के निचले स्तरों के लिए अलग से रोकड़बही का संधारण किया जाएगा।

पं.रा.सं. के निचले स्तर को अनुदान की विमुक्ति

जिला परिषद् द्वारा पं.रा.सं. के निचले स्तर को वि.अ. की ₹ 27.19 करोड़ की राशि को विमुक्त करने में एक से पाँच माह का बिलंब किया गया ***(परिशिष्ट–2.6)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था एवं पंचायतों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि स्थानांतरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

अनुदानों का स्थानांतरण

वर्ष 2010–11 की वि.अ. की ₹ 3.34 करोड़ राशि में से जि.प. द्वारा पं.रा.सं. के निचले स्तरों को केवल ₹ 2.62 करोड़ ही स्थानांतरित की गई, परिणामस्वरूप ₹ 0.72 करोड़ कम स्थानांतरण हुआ (जुलाई 2015)। आगे, जि.प. द्वारा स्थानांतरित ₹ 2.62 करोड़ की राशि में से ₹ 24.31 लाख बैंक द्वारा दो पं.स. एवं 17 ग्रा.पं. को स्थानांतरित नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट–2.7)***। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि अस्थानांतरित वि.अ. को सत्यापन के बाद पं.रा.सं. को स्थानांतरित किया जाएगा।

जमा राशि पर प्राप्त ब्याज की राशि की उपयोगिता

वर्ष 2010–15 की अवधि में जि.अ. के पास ₹ 5.13 करोड़ अनुदान पर ₹ 7.56 लाख की ब्याज की राशि पड़ी हुई थी। जि.अ. द्वारा बताया गया कि अर्जित ब्याज की राशि जि.प. को वापस कर दी जाएगी।

वर्ष 2010–15 के दौरान पि.क्षे.अ.नि. कार्यक्रम के अंतर्गत पं.रा.सं. के तीनों स्तरों की वि.अ. की राशि पर ₹ 57.70 लाख ब्याज के रूप में जि.प. को अर्जित हुआ था जिसमें से का.प., कोईलवर को अनियमित रूप से ₹ 22.30 लाख स्थानांतरित किया गया और ₹ 35.40 लाख अनुपयोगित रहा (जुलाई 2015)। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि जि.प. को राशि लौटाने हेतु निर्देश जारी किये जाएंगे।

अनुदान की उपयोगिता

जिला परिषद् एवं दो पं.स. (पीरो एवं तरारी) द्वारा क्ष.नि.अ. की ₹ 5.65 लाख राशि एवं जि.प. द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने हेतु ₹ 3.88 लाख अनुदान राशि का उपयोग एक से छः वर्षों तक नहीं किया गया। मु.का.प., जि.प. एवं का.प., पीरो ने बताया कि अनुदानों के उपयोग/वापसी के संबंध में पं.रा.वि. से निर्देश प्राप्त किया जाएगा।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

वर्ष 2011–15 में ₹ 40.65 करोड़ के वि.अ. का उ.प्र.प. समर्पित नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट–2.10)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

2.1.6.5 जिला परिषद् कटिहार

पूर्व की ***कंडिका 2.1.6.2 एवं 2.1.6.4*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जि.प. को वि.अ. की आवंटित राशि ₹ 99.57 करोड़ के विरूद्ध ₹ 75.42 करोड़ की विमुक्ति की गई जिसके कारण 2010–15 में ₹ 24.15 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई। इसका कारण पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करना था।

पं.रा.सं. के निचले स्तर को अनुदान की विमुक्ति

जिला परिषद् द्वारा पं.रा.सं. के निचले स्तर की संस्थाओं को ₹ 39.80 करोड़ के अनुदान को विमुक्त करने में एक से तीन माह का बिलंब किया गया ***(परिशिष्ट 2.6)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था और पंचायतों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि स्थानांतरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

अनुदानों का स्थानांतरण

ग्राम पंचायत सिमरिया दक्षिणी को अनुदान की राशि ₹ 2.12 लाख (2009–10) जि.प. द्वारा स्थानांतरित नहीं किया गया ***(परिशिष्ट–2.7)***। मु.का.प., जि.प. द्वारा बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।

अर्जित ब्याज की राशि की उपयोगिता

वर्ष 2010–15 के दौरान जि.प. द्वारा जि.अ. को कार्यों के कार्यान्वयन हेतु ₹ 6.16 करोड़ दिया गया। जि.अ. द्वारा अर्जित ब्याज राशि ₹ 4.40 लाख जि.प. को वापस नहीं लौटाने के कारण इस राशि का उपयोग कार्यों में नहीं किया जा सका। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि जि.प. को राशि लौटाने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

वर्ष 2011–12 एवं 2013–15 के लिए वि.अ. की ₹ 22.29 करोड़ का उ.प्र.प. समर्पित नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट–2.10)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।

2.1.6.6 जिला परिषद् लखीसराय

पूर्व की ***कंडिका 2.1.6.2 एवं 2.1.6.4*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जि.प. को वि.अ. की आवंटित राशि ₹ 70.04 करोड़ के विरूद्ध ₹ 53.44 करोड़ की विमुक्ति की गयी जिसके कारण 2010–15 में ₹ 16.60 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई। प्राप्त अनुदान के 60 प्रतिशत से कम राशि का उपयोग करने के कारण ऐसा हुआ।

अनुदानों का स्थानांतरण

अनुसूचित जनजाति उपयोजना अनुदानों को ग्रा.पं. के बीच उनके अ.ज.जा. की जनसंख्या के अनुपात में वितरण करना था परंतु 58 ग्रा.पं. की कर्णांकित राशि ₹ 6.30 लाख को 80 ग्रा.पं. के बीच समान रूप से वितरित कर दिया गया। फलतः तीन पं.स. के 17 ग्रा.पं. में ₹ 1.33 लाख का अनियमित स्थानांतरण हुआ ***(परिशिष्ट– 2.9)***। मु. का.प., जि.प. द्वारा बताया गया कि राशि की वापसी हेतु कार्रवाई की जा रही है।

अनुदानों का उपयोग

क्षमता निर्माण अनुदान की ₹ 3.12 लाख जि.प. में अप्रैल 2012 से अनुपयोगित था।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

जिला परिषद् ने 2010–14 में वि.अ. के ₹ 45.29 करोड़ के व्यय के विरूद्ध ₹ 66.55 करोड का उ.प्र.प. समर्पित किया तथा 2013–14 में ₹ 18.66 करोड़ का उ.प्र.प. समर्पित नहीं किया ***(परिशिष्ट–2.10)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

2.1.6.7 जिला परिषद् मधेपुरा

पूर्व की ***कंडिका 2.1.6.2 एवं 2.1.6.4*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण पं.रा.मं. द्वारा जि.प. को वि.अ. की आवंटित राशि ₹ 82.27 करोड़ के विरूद्ध ₹ 67.03 करोड़ की विमुक्ति की गयी जिसके कारण 2010–15 में ₹ 15.24 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई।

अनुदानों की विमुक्ति

पंचायती राज संस्थाओं के निचले स्तर को वि.अ. की ₹ 14.75 करोड़ की अनुदान को विमुक्त करने में 23 से 37 दिन का बिलंब किया गया ***(परिशिष्ट–2.6)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था और पंचायतों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि स्थानांतरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

जमा राशि पर अर्जित ब्याज का उपयोग

पंचायत समिति आलम नगर द्वारा सहायक अभियंता को 52 कार्यों के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2011–14 में दिए गए ₹ 71.30 लाख पर अर्जित ब्याज ₹ 2.17 लाख को पि.क्षे.अ.

नि. खाते में नहीं लिया गया। का.प. द्वारा बताया गया कि अर्जित ब्याज पि.क्षे.अ.नि. के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

जिला परिषद् द्वारा वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 में वि.अ. के ₹ 12.68 करोड़ के व्यय के विरूद्ध ₹ 17.69 करोड़ का उ.प्र.प. समर्पित किया गया ***(परिशिष्ट–2.10)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।

2.1.6.8 जिला परिषद् पटना

पूर्व की ***कंडिका 2.1.6.2 एवं 2.1.6.4*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण पं.रा.मं. ने जि.प. को वि.अ. की आवंटित राशि ₹ 132.81 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 56.46 करोड़ ही विमुक्त किया जिसके कारण 2010–15 में ₹ 76.35 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई।

पं.रा.सं. के निचले स्तरों को अनुदानों की विमुक्ति

पंचायती राज संस्थाओं के निचले स्तर को वि.अ. की ₹ पांच करोड़ की राशि को विमुक्त करने में एक माह का बिलंब किया गया ***(परिशिष्ट–2.6)***। प्रधान सचिव, पं.रा. वि. द्वारा बताया गया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था और पंचायतों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि स्थानांतरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

अनुदानों का स्थानांतरण

बिहार सरकार ने निर्देश दिया (जुलाई 2012) था कि संविलयित ग्रा.प. के मामले में संविलयित ग्रा.प. का हिस्सा या तो शहरी स्थानीय निकायों को स्थानांतरित कर दिया जाए या उन पंचायतों में समान रूप से बांट दिया जाय जो संविलयित पुराने ग्रा.प. के ग्रामों के क्षेत्राधिकार में थे।

परंतु, वि.अ. की राशि ₹ 76.49 लाख जि.प. द्वारा एक पं.स., तीन श.स्था.नि. एवं चार ग्रा.पं. को स्थानांतरित नहीं किया गया ***(परिशिष्ट–2.7)*** जबकि आठ पं.स. एवं छः ग्रा. पं. को ₹ 1.17 करोड़ दो बार विमुक्त किया गया ***(परिशिष्ट–2.8)***। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि चार ग्रा.पं. के नगर पंचायत में शामिल हो जाने के कारण राशि का स्थानांतरण नहीं किया गया एवं अनुदान के दो बार विमुक्ति के मामले में बैंक से वार्ता की जाएगी।

जमा पर अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग

वर्ष 2010–15 की अवधि में जि.प. द्वारा जि.अ. को कार्यों के कार्यान्वयन हेतु ₹ 7.80 करोड़ दिया गया था तथा अर्जित ब्याज राशि को जि.प. को वापस किया जाना था परंतु जि.अ. ने अर्जित ब्याज राशि ₹ 11.89 लाख जि.प. को नहीं लौटाया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि जि.प. को राशि लौटाने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

जि.प. द्वारा वर्ष 2010–13 में ₹ 44.41 करोड़ का उ.प्र.प. समर्पित करने में दो से तीन वर्ष का विलंब किया गया जबकि वर्ष 2012–14 के वि.अ. की राशि ₹ 31.88 करोड़ का उ.प्र.प. समर्पित नहीं किया गया ***(परिशिष्ट–2.10)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।

2.1.6.9 जिला परिषद् सहरसा

पूर्व ***कंडिका 2.1.6.2 एवं 2.1.6.4*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मार्गदर्शिका में विनिर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण पं.रा.मं. ने जि.प. को वि.अ. की अर्हक राशि ₹ 84.55 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹59.55 करोड़ ही विमुक्त किया जिसके कारण 2010–15 में ₹ 25 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई।

अनुदानों का स्थानांतरण

ग्राम पंचायत बख्तियारपुर उत्तरी एवं बख्तियारपुर दक्षिणी को नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर में मिला दिया गया परंतु वर्ष 2012–13 में उनके हिस्से की राशि ₹ 8.09 लाख को जि.प. द्वारा नगर पंचायत को स्थानांतरित नहीं किया गया। जि.प. द्वारा विकास अनुदान की राशि ₹ चार लाख (2010–11) दो ग्रा.पं. (मुरली वसंतपुर एवं बरसम) में स्थानांतरित नहीं किया गया ***(परिशिष्ट–2.7)***। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि ग्रा.पं. की देयता का आकलन कर उन्हें अनुदान स्थानांतरित कर दी जाएगी।

जमा पर अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग

जिला परिषद् ने जि.अ. को कार्यों के कार्यान्वयन हेतु ₹ 5.87 करोड़ (2010–15) उपलब्ध कराया था परंतु, जि.अ. द्वारा अर्जित ब्याज की राशि ₹ 6.97 लाख जि.प. को नहीं लौटाया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि जि.प. को राशि लौटाने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

अनुदान का उपयोग

जिला परिषद् एवं दो पं.स. द्वारा क्ष.नि.अ. की राशि ₹ 4.30 लाख अनुपयोगित रहा तथा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने हेतु प्राप्त अनुदान की राशि ₹ 1.13 लाख का तीन से चार वर्षों तक जि.प. द्वारा उपयोग नहीं किया गया। मु.का.प., जि.प. एवं का.प. पं.स. बनमा इटहरी ने बताया कि अनुपयोगित अनुदान का उपयोग/समर्पण पं.रा.वि. के निर्देशानुसार किया जाएगा।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

वर्ष 2011–15 में ₹ 19.01 करोड़ के वि.अ. का उ.प्र.प. प्रेषित नहीं किया ***(परिशिष्ट–2.10)*** गया था। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।

2.1.6.10 जिला परिषद् समस्तीपुर

पूर्व ***कंडिका 2.1.6.2 एवं 2.1.6.4*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण पं.रा.मं. द्वारा जि.प. को वि.अ. की हिस्से की राशि ₹ 113.09 करोड़ के विरूद्ध ₹ 61.21 करोड़ की विमुक्ति की गयी जिसके कारण 2010–15 में ₹ 51.88 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई।

पं.रा.सं. के निचले स्तर को अनुदान की विमुक्ति में बिलंब

जिला परिषद् द्वारा पं.रा.सं. के निचले स्तर को ₹ 3.93 करोड़ के अनुदान को विमुक्त करने में जि.प. द्वारा पाँच महीने का बिलंब किया गया ***(परिशिष्ट–2.6)***। यह भी पाया गया कि बैंक द्वारा पं.रा.सं. को राशि के स्थानांतरण में भी 11 से 282 दिन का विलंब

किया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था तथा पंचायतों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि स्थानांतरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

अनुदान का स्थानांतरण

सत्रह पं.स. को अ.ज.जा. उपयोजना से संबंधित अनुदान की राशि में ₹ 33.75 लाख अधिक राशि का स्थानांतरण किया गया जबकि नगर परिषद् समस्तीपुर को ₹ 1.59 लाख कम स्थानांतरित (मई 2012) की गयी ***(परिशिष्ट–2.8)***। मु.का.प., जि.प. द्वारा बताया गया कि बैंक के द्वारा अधिक राशि का स्थानांतरण किया गया और बैंक तथा पं.स. से इस संबंध में पत्राचार किया जाएगा।

अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग

ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 6.97 लाख को जि.प. के लेखा में नहीं लिया गया जबकि सेंट्रल बैंक के खाते में रखी गयी विभिन्न शीर्षों की राशि पर अर्जित ब्याज ₹ 1.09 करोड़ को शीर्षवार अलग नहीं किया गया और न ही उसे पि.क्षे.अ.नि. के लेखा में रखा गया। वर्ष 2010–15 की अवधि में जि.प. द्वारा जि.अ. को कार्यों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 8.10 करोड़ उपलब्ध कराया गया था परंतु, जि.अ. द्वारा अर्जित ₹ 10.81 लाख की ब्याज राशि जि.प. को नहीं लौटाया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि जि.प. को राशि लौटाने हेतु निर्देश जारी किये जाएंगे।

अनुदान का उपयोग

परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने हेतु प्राप्त ₹ पाँच लाख का अनुदान मई 2008 से जि.प. में अनुपयोगित था।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

वर्ष 2010–15 में वि.अ. की ₹ 54.11 करोड़ का उ.प्र.प. समर्पित नहीं किया गया ***(परिशिष्ट–2.10)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।

2.1.6.11 जिला परिषद् सीतामढ़ी

पूर्व ***कंडिका 2.1.6.1*** एवं ***2.1.6.4*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण पं.रा.मं. द्वारा जि.प. को वि.अ. की हिस्से की राशि ₹ 100.73 करोड़ के विरूद्ध ₹ 60.82 करोड़ की विमुक्ति की गयी जिसके कारण 2010–15 में ₹ 39.91 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई।

पंचायती राज संस्थाओं के निचले स्तर को अनुदान की विमुक्ति में बिलंब

जिला परिषद् द्वारा पं.रा.सं. के निचले स्तर की संस्थाओं को ₹ 19.94 करोड़ के विकास अनुदान को विमुक्त करने में एक से दो माह का बिलंब किया गया था ***(परिशिष्ट–2.6)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था और पंचायतों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि स्थानांतरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

अनुदानों का स्थानांतरण

निचले स्तर की पं.रा.सं. को ₹ 9.41 करोड़ (फरवरी 2015) के वि.अ. का स्थानांतरण नहीं (मई 2015) किया गया ***(परिशिष्ट–2.7)***। साथ ही गैर–अ.जा. विशेष योजना घटक/अ.ज.जा. उपयोजना से संबंधित वि.अ. की राशि ₹ 26.56 लाख को 11 ग्रा.पं. को दो बार स्थानांतरित कर दिया गया। फलतः अनुदान का अधिक स्थानांतरण हुआ ***(परिशिष्ट–2.8)***। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि निधि का स्थानांतरण शीघ्र करने हेतु

संबंधित बैंक को नोटिस दिया गया है तथा उक्त राशि की वापसी संबंधित ग्रा.प. से करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

जमा पर अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग

जिला परिषद् द्वारा जि.अ. को कार्यों के कार्यान्वयन हेतु ₹ 5.73 करोड़ (2010–15) उपलब्ध कराया गया था परंतु जि.अ. द्वारा अर्जित ब्याज की राशि ₹ 15.32 लाख जि. प. को नहीं लौटाया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि जि.प. को राशि लौटाने हेतु निर्देश जारी किये जाएंगे।

अनुदानों का उपयोग

क्षमता निर्माण अनुदान की राशि ₹ 5.53 लाख जि.प. एवं पं.स., रून्नीसैदपुर में वर्ष 2013–14 से तथा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए अनुदान की राशि ₹ 1.83 लाख जि.प. में 2011–12 से अनुपयोगित था।

अनुशंसाएँ :

पं.रा.सं. द्वारा अनुदानों का अधिकतम उपयोग करने, पात्रता के अनुसार अपने हिस्से की अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए पं.रा.मं. को ससमय मांग भेजने, कर्मियों की संख्या में वृद्धि हेतु पांच प्रतिशत राशि कर्णांकित करने के लिए राज्य सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

जि.प. को पं.रा.सं. के निचले स्तर को अनुदानों का स्थानांतरण ससमय करने एवं समय पर सही उ.प्र.प. भेजने से संबधित दिशा निर्देशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए।

2.1.7 आयोजना

2.1.7.1 पंचायती राज विभाग

मार्गदर्शिका के अनुसार, पि.क्षे.अ.नि. का कार्यक्रम बेसलाईन सर्वे और जिला विकास परिप्रेक्ष्य योजना के साथ साथ पिछड़ेपन के अध्ययन पर आधारित प्रत्येक पि.क्षे.अ.नि. जिला में प्रारंभ किया जाना था। कार्यान्वयन के लिए चिन्हित कार्यक्रमों का चयन लोगों की सहभागिता खासकर ग्राम सभा से किया जाना था। प्रत्येक पंचायत द्वारा तैयार इस प्रकार की योजना को जिला योजना समिति द्वारा जिला योजना में शामिल किया जाना था। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (उ.स्त.स.) को प्रस्तावित जिला योजना पर विचार कर अनुमोदन देना था।

उच्च स्तरीय समिति

बिहार सरकार द्वारा मार्च 2007 में पि.क्षे.अ.नि. के अंतर्गत योजनाओं के अनुमोदन तथा मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए उ.स्त.स. का गठन किया गया था। वर्ष 2010–15 के दौरान उ.स्त.स. की तीन बैठकें हुई जिसमें 2010–11 तक के जिला योजनाओं को अनुमोदित किया गया। उसके बाद विकास अनुदान के लिए यह कार्य जिला योजना समिति को एवं क्ष.नि.अ. के लिए यह कार्य उ.स्त.स. को हस्तांतरित किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011–15 के दौरान मात्र दो बैठकें (सितंबर 2013 एवं अगस्त 2014) की गयी। परिणामतः, उ.स्त.स., क्ष.नि.अ. के उपयोग की निगरानी करने में विफल रहा एवं राज्य वर्ष 2011–15 की अवधि में ₹ 154.66 करोड़ के क्ष.नि.अ. से वंचित रहा। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा के इस निष्कर्ष को स्वीकार किया गया।

बेसलाइन सर्वेक्षण, दृष्टिकोण पत्र एवं संदर्शी योजना

टेक्निकल सपोर्ट इंस्टीटयूशन (टी.एस.आई) द्वारा सभी नमूना जांचित जिलों में बेसलाइन सर्वेक्षण किया गया तथा दृष्टिकोण पत्र एवं संदर्शी योजना तैयार किए गए। परंतु, वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) संदर्शी योजना के आधार पर बनाने की बजाय पं.रा.सं. के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रस्ताव के आधार पर बनाया गया। परिणामस्वरूप बेसलाइन सर्वे, दृष्टिकोण पत्र एवं संदर्शी योजना व्यर्थ सिद्ध हुए। प्रधान सचिव, पं.रा. वि. द्वारा निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा के इस विचार को स्वीकार किया गया।

समेकित जिला योजना (स.जि.यो.) का निर्माण

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1 के अनुसार जि.यो.स. द्वारा जिले में उपलब्ध सभी संसाधनों को सम्मिलित कर सरकार के विभिन्न स्तरों को सौंपे गए गतिविधियों/कार्यों को लेकर जि.यो.स. द्वारा एक स.जि.यो. तैयार किया जाना चाहिए। वर्ष 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 10 नमूना जांचित जिलों में स.जि.यो. तैयार नहीं की गयी और केवल पि.क्षे.अ.नि. विशेष की वार्षिक योजना तैयार की जा रही थी। प्रधान सचिव, पं.रा. वि. ने स्वीकार किया कि समेकित जिला योजना तैयार नहीं की गयी, इसके बजाए केवल पि.क्षे.अ.नि. विशेष की वार्षिक योजना ही तैयार की गयी थी तथा मामले की जाँच की जाएगी।

2.1.7.2 जिला परिषद् औरंगाबाद

अधिरोपित योजना

पि.क्षे.अ.नि. के अन्तर्गत आयोजन प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण बदलाव उपर से नीचे की ओर के स्थान पर निचले स्तर से उपर की ओर योजना तैयारी में हुआ।

जिला परिषद् द्वारा ₹ आठ लाख की पि.क्षे.अ.नि. के तीन कार्यों को पं.स. रफीगंज की वा.का.यो. में बिना इसकी सहमति के शामिल की गयी ***(परिशिष्ट–2.11)***।

पंचायत समिति गोह ने 2012–13 की वा.का.यो. में ₹ 1.56 करोड़ की योजनाओं को शामिल करने हेतु समर्पित किया था परंतु जि.प. द्वारा मनमाने ढंग से योजनाओं को ₹49.41 लाख तक सीमित कर शामिल किया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि विकास योजनाओं का चयन वार्ड सभा से करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

पिछले वर्ष नहीं ली गयी योजनाओं का कार्यान्वयन

वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के संबंध में पं.रा.वि. द्वारा मई 2012 में जारी दिशा–निर्देशों में कहा गया था कि पिछले वर्ष में कार्यान्वित नहीं होने वाले कार्यों एवं अपूर्ण कार्यों की समीक्षा कर उन्हें चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किया जाय।

जिला परिषद् द्वारा ₹ 2.88 करोड़ के 92 कार्यों (2012–15) का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किए बिना किया गया ***(परिशिष्ट–2.12)***। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि समयाभाव के कारण उचित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की मार्गदर्शिका के अनुसार जिला योजनाओं में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना बनाकर अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित मुददों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धन का आवंटन कम–से–कम उनकी जनसंख्या के अनुपात में हो और उनका उपयोग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर हो।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010–15 के दौरान जि.प. में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से कोई उपयोजना तैयार नहीं की गयी। नमूना जांचित पं.रा.सं. द्वारा ₹ 6.15 करोड़ के 286 कार्यों में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए मात्र ₹ 1.09 करोड़

के 60 कार्य कार्यान्वित की गयी। फलतः अ.जा./अ.ज.जा. की 24.52 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के फायदे के लिए मात्र 17.72 प्रतिशत निधि का ही उपयोग हुआ। आगे, 60 कार्यों में से मात्र दो कार्य ही प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अनुसार कार्यान्वित की गयी। इस प्रकार अ.जा./अ.ज.जा. न केवल अपनी आबादी के अनुपात में सुविधाओं से वंचित रहे बल्कि उनकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भी नजरंदाज किया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्त्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.3 जिला परिषद् भागलपुर

पूर्व ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अधिरोपित योजना

एक पं.स. एवं छः ग्रा.पं. की ₹ 1.32 करोड़ की 91 कार्यों को पं.स. एवं ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना ही वा.का.यो. में शामिल कर लिया गया ***(परिशिष्ट–2.11)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि विकास योजनाओं का चयन वार्ड सभा से करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

पिछले वर्ष नहीं ली गयी कार्यों का कार्यान्वयन

जि.प. द्वारा वर्ष 2014–15 में ₹ 11.56 लाख की चार योजनाओं का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किए बिना किया गया ***(परिशिष्ट–2.12)***। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि जि.प. के निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर कार्यों को कार्यान्वित किया गया और जि.यो.स. की अनुशंसा अगली बैठक में प्राप्त कर ली जाएगी।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

वर्ष 2010–15 के दौरान जिला में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से कोई उपयोजना तैयार नहीं की गयी। नमूना जांचित पं.स./ग्रा.पं. द्वारा ₹ 7.36 करोड़ की 402 कार्यों में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए मात्र ₹ 22 लाख के 25 कार्य (तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्र सहित) कार्यान्वित की गयी। फलतः, अ.जा./अ.ज.जा. की 12.8 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के लाभ हेतु मात्र 2.93 प्रतिशत निधि का ही उपयोग हुआ। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्त्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.4 जिला परिषद् भोजपुर

पूर्व की ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

पिछले वर्ष नहीं ली गयी कार्यों का कार्यान्वयन

दो पं.स. एवं छः ग्रा.पं. द्वारा पिछले वर्ष के 32 कार्यों का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा. का.यो. में शामिल किए बिना किया गया एवं इन कार्यों पर ₹ 1.17 करोड़ का व्यय हुआ ***(परिशिष्ट–2.12)***। ग्रा.पं. बिहटा, इमादपुर और संदेश ने बताया कि योजना का कार्यान्वयन जनहित में किया गया।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

जि.प. द्वारा ₹ 75.14 लाख की 31 कार्यों का कार्यान्वयन अ.जा. विशेष योजना घटक/अ.ज.जा. उपयोजना के अंतर्गत किया गया परंतु कोई भी कार्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र से नहीं किया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्त्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.5 जिला परिषद् कटिहार

पूर्व ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

पिछले वर्ष नहीं ली गयी कार्यों का कार्यान्वयन

एक पं.स. एवं पाँच ग्रा.पं. द्वारा ₹ 79.99 लाख के व्यय (2012–14) से पिछले वर्ष के 18 कार्यों का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किए बिना किया गया ***(परिशिष्ट–2.12)***। का.प., पं.स. कुर्सेला तथा पंचायत सचिव, ग्रा.पं. पूर्वी एवं उत्तरी मुरादपुर ने बताया कि कार्यों के अनुमोदन में विलंब के कारण ऐसा हुआ।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

जिला परिषद् द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. उपयोजना के लिए ₹ 1.11 करोड़ के 21 कार्यों का कार्यान्वयन जिनमें से 19 कार्य अ.जा./अ.ज.जा. के प्राथमिक क्षेत्र के बाहर की थीं। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्त्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.6 जिला परिषद् लखीसराय

पूर्व ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

पिछले वर्ष नहीं ली गयी कार्यों का कार्यान्वयन

पंचायत समिति पिपरिया एवं ग्रा.पं. भलुई द्वारा वर्ष 2012–15 के दौरान पिछले वर्ष के छः कार्यों का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किए बिना किया गया जिस पर ₹ 26.90 लाख का व्यय हुआ ***(परिशिष्ट–2.12)***।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

अनुदान की राशि कम होने के कारण जिला में अ.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार नहीं की गयी। जि.प. द्वारा कार्यान्वित ₹ 4.61 करोड़ के 88 कार्यों में से मात्र सात कार्य ही अ.जा के लिए कार्यान्वित की गयी जिसपर ₹ 33.77 लाख का व्यय हुआ। फलतः अ.जा. की 15.78 प्रतिशत आबादी के हित के लिए मात्र 7.32 प्रतिशत निधि का उपयोग हुआ। सात योजनाओं में से कोई भी योजना प्राथमिकता वाले क्षेत्र से नहीं ली गयी थी। आगे, वर्ष 2011–15 के दौरान अनन्य रूप से अ.ज.जा. उपयोजना के लिए अलग से कोई कार्य कार्यान्वित नहीं की गयी जबकि इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 28 लाख अनुदान प्राप्त हुए थे। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जांच कर तत्त्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.7 जिला परिषद् मधेपुरा

पूर्व ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अधिरोपित योजना

पंचायत समिति आलम नगर द्वारा ₹ 12.79 लाख प्राक्कलन के चार कार्य बिना पं.स. के अनुमोदन के वा.का.यो. में सम्मिलित कर कार्यान्वित की गयी ***(परिशिष्ट–2.11)***। जिला पंचायत योजना जि.प. के द्वारा नहीं बल्कि जि.प. सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कार्यों की सूची के आधार पर जि.यो.स. द्वारा तैयार की गई थी। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि विकास योजनाओं का चयन वार्ड सभा से करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

जिला परिषद् द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. के लिए ₹ 2.76 करोड़ व्यय से 73 कार्यों को कार्यान्वित किया गया परंतु इनमें से केवल 14 कार्य अ.जा./अ.ज.जा. के प्राथमिकता

वाले क्षेत्र की सूची में सम्मिलित थीं। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि यदि प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्त्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.8 जिला परिषद् पटना

पूर्व ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

पिछले वर्ष नहीं ली गयी कार्यों का कार्यान्वयन

वर्ष 2012–15 के दौरान दो पं.स. एवं तीन ग्रा.पं ने ₹ 30.23 लाख के व्यय से पिछले वर्ष के 26 कार्यों का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किए बिना किया ***(परिशिष्ट–2.12)***।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

जिला परिषद् ने ₹ 94 लाख व्यय से अ.जा. घटक के 38 कार्यों का कार्यान्वयन किया परंतु इन 38 कार्यों में से केवल एक कार्य अ.जा. के प्राथमिक क्षेत्र की सूची में सम्मिलित था। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि जि.प. सदस्यों की अनुशंसा पर कार्य कराए गए। अ.ज.जा. से संबंधित उपयोजना के अंतर्गत ₹ आठ लाख का अनुदान प्राप्त होने के बावजूद अलग से कोई कार्य कार्यान्वित नहीं (2011–15) किया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्त्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी

2.1.7.9 जिला परिषद् सहरसा

पूर्व की ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

पिछले वर्ष नहीं ली गयी कार्यों का कार्यान्वयन

चार ग्रा.पं द्वारा ₹ 38.06 लाख के व्यय से 11 कार्यों का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा. का.यो. में शामिल किए बिना किया गया ***(परिशिष्ट–2.12)***। ग्रा.पं. पटोरी ने बताया कि कार्यों का कार्यान्वयन जनहित में किया गया एवं ग्रा.पं. को वा.का.यो. के बारे में जानकारी नहीं थी।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

जिला परिषद् द्वारा अ.जा. घटक की 18 कार्य कार्यान्वित कर ₹ 80 लाख व्यय किया गया परंतु इनमें सें कोई भी कार्य अ.जा. के प्राथमिकता वाले क्षेत्र की सूची में सम्मिलित नहीं थी। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि जि.प. द्वारा सिर्फ जि.यो.स. द्वारा अनुमोदित कार्यों का ही कार्यान्वयन कराया गया।

वर्ष 2011–15 के दौरान अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित किसी भी कार्य का कार्यान्वयन नहीं कराया गया था जबकि इस शीर्ष में ₹ 14 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्त्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.10 जिला परिषद् समस्तीपुर

पूर्व की ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अधिरोपित योजना

ग्राम पंचायत रायपुर बुजुर्ग पर ₹ 15.21 लाख के चार कार्य जि.प., समस्तीपुर द्वारा अध्यारोपित की गई थी ***(परिशिष्ट–2.11)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि विकास योजनाओं का चयन वार्ड सभा से कराने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

पिछले वर्ष नहीं ली गयी कार्यों का कार्यान्वयन

दो पं.स. एवं चार ग्रा.पं द्वारा वर्ष 2012–15 की अवधि में ₹ 96.31 लाख के व्यय से पिछले वर्ष के 28 कार्यों का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किए बिना किया गया ***(परिशिष्ट–2.12)***।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

वर्ष 2010–15 की अवधि में वा.का.यो. में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार नहीं की गयी थी और वा.का.यो. में अ.जा./अ.ज.जा. के हित के लिए केवल विमुक्त होने वाली राशि दर्शायी गयी थी।

नमूना जांचित इकाईयों द्वारा ली गयी ₹ 5.12 करोड़ के 142 कार्यों में ₹ 30.31 लाख के व्यय से मात्र नौ कार्य अ.जा./अ.ज.जा. के लिए ली गयी। फलतः अ.जा./अ.ज.जा. के 18.62 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के हित के लिए मात्र 5.92 प्रतिशत का ही उपयोग हुआ। 142 कार्यों में से केवल एक कार्य पं.स. मोहिउद्दीन नगर द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र से कार्यान्वित किया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.11 जिला परिषद् सीतामढ़ी

पूर्व की ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

पिछले वर्ष नहीं ली गयी कार्यों का कार्यान्वयन

दो पं.स. एवं तीन ग्रा.पं द्वारा वर्ष 2012–15 की अवधि में पिछले वर्ष के ₹ 1.41 करोड़ के 75 कार्यों का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किए बिना किया गया ***(परिशिष्ट–2.12)***।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

जिले में अ.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार नहीं की गयी थी। वर्ष 2012–14 में जि.प. द्वारा ₹ 3.73 करोड़ के 85 कार्यों में से अ.जा. के लिए केवल ₹ 23.18 लाख के सात कार्य लिए गए थे। फलतः, अ.जा. की 11.76 प्रतिशत आबादी के हित के लिए मात्र 6.21 प्रतिशत का ही उपयोग हुआ। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि जि.प. ने त्रिस्तरीय पं.रा.सं. तथा नगर निकायों से प्राप्त घटकों के आधार पर समर्पित किया जिसमें उक्त घटक प्राप्त नहीं थे।

वर्ष 2011–15 के दौरान अ.ज.जा. से संबंधित उपयोजना के अन्तर्गत ₹ तीन लाख का अनुदान उपलब्ध होने के बावजूद अलग से कोई कार्य कार्यान्वित नहीं किया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी

अनुशंसाः कार्य को चालू वर्ष के अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर ही कार्यान्वित कराना चाहिए एवं अनुदान के अ.जा./अ.ज.जा. घटक को प्राथमिकता वाले स्रोतों के कार्यों में ही उपयोग किया जाना चाहिए।

2.1.8 विकास/क्षमता निर्माण अनुदान की उपयोगिता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मार्गदर्शिका के अनुसार जिला में उपलब्ध सभी वित्तीय संसाधनों का अधिकत्तम उपयोग बिना विलंब एवं विचलन के किया जाना है।

2.1.8.1 जिला परिषद् औरंगाबाद

कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., दो पं स. एवं आठ ग्रा.पं. में जि.यो.स. द्वारा 2010–15 के दौरान 1516 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 376 कार्य (25 प्रतिशत) ही लिये गए। तथापि, ₹ 2.28 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी 162 कार्य (43 प्रतिशत) एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे ***(परिशिष्ट–2.13)***। आगे, जि.प. में वर्ष 2011–12 के दौरान वा. का.यो. में 116 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 1.11 करोड़ अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़क, नाली, सामुदायिक भवन इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

बिहार सरकार ने दिसंबर 2011 में दिशानिर्देश जारी किया था जिसके अनुसार जि.यो. स. से अनुमोदित योजनाएं ही कार्यान्वयन के लिए ली जाएगी और किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रावधान के विपरीत जि.प., दो पं.स., एवं आठ ग्रा.पं. द्वारा ₹ 4.71 करोड़ की 214 कार्य ***(परिशिष्ट– 2.15)*** वा.का.यो. में शामिल किए बिना कार्यान्वित की गयी। फलतः यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से कार्य लिया गया और नाजुक कड़ियों को जोड़ा गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किये जाने के कारण उस पर किए गए व्यय को जिले को विमुक्त किये जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

सरकारी दिशानिर्देशों के विरूद्ध कार्यों का आवंटन

दिसंबर 2012 में सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया था जिसके अनुसार विभागीय कार्य में कार्यकारी अभिकर्ता के रूप में सरकारी कर्मियों को अधिक–से–अधिक तीन कार्य ही सौंपी जा सकती है बशर्ते कार्य स्थल पाँच किलोमीटर के दायरे में हो। शेष कार्य निविदा के माध्यम से कराए जाएंगे।

वर्ष 2014–15 में जि.प. द्वारा सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 1.43 करोड़ की 28 योजनाएं तीन अभिकर्ताओं (एक बार में आठ से दस कार्य) को दिया गया ***(परिशिष्ट–2.16)***। फलतः, 16 कार्य (57 प्रतिशत) अपूर्ण रहीं एवं 10 कार्य (36 प्रतिशत) एक से चार महीने विलंब से पूर्ण करायी गयी। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि भविष्य में दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

असमायोजित अग्रिम

बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियम, 1964 में प्रावधान है कि किसी कार्य के लिए द्वितीय अग्रिम तब तक नहीं दिया जाय जब तक कि प्रथम अग्रिम का समायोजन न हो जाय। प्रावधान के विरूद्ध वर्ष 2010–14 के दौरान अभिकर्ताओं को 54 कार्यों के लिए ₹ 42.90 लाख अग्रिम (जि.प., दो पं.स. एवं पांच ग्रा. पं.) दिया गया। इनमें से 38 कार्य एक से चार वर्ष व्यतीत होने के बावजूद न तो एजेंसी द्वारा प्रारंभ की गयी न ही दिए गए अग्रिम ₹ 18 लाख जि.प. और दो पं.स. को वापस की गयी ***(परिशिष्ट–2.19)***। हांलाकि बाद में वही कार्य दूसरी एजेंसी को आवंटित किया गया और ₹ 18 लाख संबंधित व्यक्तियों से वापस नहीं कराया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

2.1.8.2 जिला परिषद् भागलपुर

पूर्व ***कंडिका 2.1.8.1*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., तीन पं.स. एवं 12 ग्रा.पं. में जि.यो.स. द्वारा 2010–15 के दौरान 1555 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 401 कार्य (26 प्रतिशत) ही लिये गए। तथापि, ₹ 1.16 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी 72 कार्य (18 प्रतिशत) एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे ***(परिशिष्ट– 2.13)***। आगे एक पं.स. एवं दो ग्रा.पं. में वर्ष 2012–14 के दौरान वा.का.यो. में 57 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 20.90 लाख अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़क, नाली, सामुदायिक भवन इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

सरकार के निर्देशों के विपरीत तीन पं.स. एवं 12 ग्रा.प. द्वारा ₹ 1.89 करोड़ के 133 कार्य वा.का.यो. से अनुमोदित नहीं होने के बावजूद कार्यान्वित ***(परिशिष्ट–2.15)*** किए गए। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किए जाने के कारण उस पर किये गए व्यय को जिला को विमुक्त किए जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

अलाभकारी व्यय

बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 के अनुसार कोई भी कार्य अपूर्ण स्थिति में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

तथापि, जि.प., पं.स. रंगड़ा चौक और ग्रा.पं. ओलापुर में विवादित स्थल, कार्यकारी अभिकर्त्ताओं के स्थानांतरण एवं अपर्याप्त निधि के कारण अपूर्ण कार्यों पर ₹ 7.30 लाख का पर व्यय अलाभकारी साबित हुआ।

असमायोजित अग्रिम

एक पं.स. एवं दो ग्रा.पं. में 10 कार्यों में ₹ 7.85 लाख का अग्रिम एक से साढ़े चार वर्ष बीतने के बावजूद असमायोजित था ***(परिशिष्ट– 2.19)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.1.8.3 जिला परिषद् भोजपुर

पूर्व ***कंडिका 2.1.8.1*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., तीन पं.स. एवं 11 ग्रा.पं. में 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 1670 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 354 कार्य (21 प्रतिशत) ही लिये गए। तथापि, ₹ 0.61 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी 56 कार्य (16 प्रतिशत) एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे ***(परिशिष्ट–2.13)***।

आगे, जि.प., तीन पं.स. एवं सात ग्रा.पं. में वर्ष 2011–15 के दौरान वा.का.यो. में 284 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 2.62 करोड़ अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़कों, नालियों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

कार्यपालक पदाधिकारी, संदेश ने बताया कि पं.स. सदस्यों के बीच विवाद के कारण कार्य नहीं कराये गए, जबकि का.प. तरारी ने कर्मियों की कमी इसका कारण बताया। ग्रा.प. बिहटा, इमादपुर, अहपुरा एवं संदेश ने बताया कि ग्राम सभा में विचारों में मतभेद एवं आपसी सामंजन की कमी के कारण कार्य, कार्यान्वित नहीं किये जा सके।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

सरकार के निर्देशों के विपरीत दो पं.स. एवं आठ ग्रा.प. द्वारा वा.का.यो. से इतर की ₹43.21 लाख के 51 कार्य कार्यान्वित करायी गयी ***(परिशिष्ट– 2.15)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किये जाने के कारण उस पर किए गए व्यय को जिला को विमुक्त किए जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

सरकारी निर्देशों का उल्लंघन कर कार्यों का आवंटन

वर्ष 2012–15 में जि.प. तथा पं.स. तरारी द्वारा सरकार के निर्देशों की अवहेलना कर ₹1.74 करोड़ के 85 कार्यों को नौ कार्यकारी अभिकरणों (का.अ.) को एक बार में चार से 19 कार्य आवंटित किए गए ***(परिशिष्ट–2.16)***। फलतः, 29 कार्य (34 प्रतिशत) अपूर्ण रहे (जुलाई 2015)। मु.का.प., जि.प. द्वारा बताया गया कि तत्कालीन मु.का.प., जि.प. द्वारा का.अ. को तीन से अधिक कार्य सौंपे गए थे।

अअनुमत्य व्यय

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की मार्गदर्शिका एवं राज्य सरकार के निर्देश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वि.अ. का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाय। फिर भी जि.प. और तीन ग्रा.पं. द्वारा अअनुमत्य कार्यों पर ₹ 3.27 लाख का व्यय किया गया ***(परिशिष्ट– 2.17)***। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि संबंधित शीर्ष में राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण इस प्रकार का व्यय किया गया। ग्रा.पं. सेधान रजैन और कातर द्वारा बताया गया कि राशि की प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

उच्च प्राधिकारी की संस्वीकृति से बचने के लिए कार्यों का विभाजन

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 206 में प्रावधान है कि उच्चत्तर प्राधिकारियों से संस्वीकृति लेने से बचने के लिए कार्यों को छोटे–छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जाय। इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए छः ग्रा.पं. ने उच्च प्राधिकारियों की संस्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ₹ 38.37 लाख की आठ कार्यों को 43 कार्यों में विभक्त कर दिया ***(परिशिष्ट–2.18)***। ग्रा.पं. मोपखुर्द और कटार द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यों का विभाजन कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए किया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया।

असमायोजित अग्रिम

जि.प., दो पं.स. एवं एक ग्रा.पं. में 47 कार्यों पर ₹ 62.97 लाख का अग्रिम एक वर्ष छः महीने से चार वर्षों तक असमायोजित था ***(परिशिष्ट–2.19)***।

बिहार सरकार के निर्देशानुसार, कार्य के कार्यान्वयन के लिए प्रथम अग्रिम ₹ 15,000 अथवा प्राक्कलित राशि का 25 प्रतिशत, दोनों में जो कम हो, दिया जाना चाहिए। परंतु, जि.प. एवं दो ग्रा.पं. द्वारा का.अ. को 177 कार्यों में प्राक्कलित राशि का 10 से 95 प्रतिशत अग्रिम स्वीकृत किया गया ***(परिशिष्ट–2.20)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.1.8.4 जिला परिषद् कटिहार

पूर्व ***कंडिका 2.1.8.1 एवं 2.1.8.3*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., तीन पं.स. एवं आठ ग्रा.पं. में 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 589 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 211 कार्य (36 प्रतिशत) ही लिये गए ***(परिशिष्ट–2.13)***। आगे, छः ग्रा.पं. में वर्ष 2010–15 के दौरान वा.का.यो. में 50

अनुमोदित कार्य एवं ₹ 33.86 लाख अनुदान उपलब्ध रहने के बावजूद सड़कों, नालियों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

ग्राम पंचायत भटवारा द्वारा बताया गया कि लोगों द्वारा बाधा डालने के कारण कार्य नहीं कराया गया जबकि ग्रा.प. पूर्वी मुरादपुर द्वारा बताया गया कि कार्य विधायक निधि से कराया गया। शेष ग्रा.पं. द्वारा उत्तर दिया गया कि ग्रामीणों में मतभेद के कारण कार्य नहीं कराए गए।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

दो पं.स. एवं तीन ग्रा.प. में वा.का.यो. से इतर ₹ 32.80 लाख के आठ कार्य कार्यान्वित कराए गए ***(परिशिष्ट– 2.15)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया किया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किये जाने के कारण उस पर किए गए व्यय को जिला को विमुक्त किए जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

अअनुमत्य व्यय

जिला परिषद् द्वारा चार्टड एकाउंटेंट के भुगतान पर ₹ 3.09 लाख व्यय किया गया ***(परिशिष्ट–2.17)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि कार्यक्रम का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समर्पित करना पि.क्षे.अ.नि. से ससमय अनुदान विमुक्ति हेतु वांछनीय था और पि.क्षे.अ.नि. में लेखापरीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए अलग से कोई राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पि.क्षे.अ.नि. से चार्टड एकाउंटेंट का भुगतान किया गया।

परिहार्य व्यय

पंचायत समिति प्राणपुर में नियत समय में कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के कारण योजना लागत ₹ 9.78 लाख से बढ़कर ₹ 12.10 लाख हो गया फलतः ₹ 2.32 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

उच्च प्राधिकारी की संस्वीकृति से बचने के लिए कार्यों का विभाजन

दो पं.स. द्वारा उच्च प्राधिकारियों की स्वीकृति लेने से बचने के लिए ₹ 32.50 लाख के तीन कार्यों को सात कार्यों में विभक्त कर दिया गया ***(परिशिष्ट–2.18)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया।

असमायोजित अग्रिम

जिला परिषद्, दो पं.स. और पांच ग्रा.पं. द्वारा अभिकर्ताओं को 185 कार्यों में प्राक्कलित राशि का 10 से 44 प्रतिशत अग्रिम दिया गया ***(परिशिष्ट–2.20)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.1.8.5 जिला परिषद् लखीसराय

पूर्व ***कंडिका 2.1.8.1*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., दो पं.स. एवं चार ग्रा.पं. में वर्ष 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 627 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 204 कार्य (32 प्रतिशत) ही लिये गए। तथापि, ₹ दो करोड़ के व्यय के पश्चात् भी 76 कार्य (37 प्रतिशत) एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे ***(परिशिष्ट–2.13)***।

आगे, पं.स. चानन एवं ग्रा.पं. लाखोचक में वर्ष 2012–15 के दौरान वा.का.यो. में 52 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 54.46 लाख अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़कों, नालियों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

दो ग्रा.प. द्वारा वा.का.यो. से इतर ₹ 22.52 लाख के 17 कार्यों का कार्यान्वयन कराया गया था ***(परिशिष्ट–2.15)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किये जाने के कारण उस पर किये गए व्यय को जिला को विमुक्त किए जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

अअनुमत्य व्यय

पंचायत समिति पिपरिया द्वारा चहारदीवारी निर्माण से संबंधित ₹ 6.45 लाख के लागत से दो अअनुमत्य कार्यों (2010–15) का कार्यान्वयन पि.क्षे.अ.नि. के अंतर्गत कराया गया ***(परिशिष्ट–2.17)***। का.प. द्वारा बताया गया कि जि.यो.स. से पारित एवं पं.स. की बैठक में अनुमोदन के अनुसार कार्यों का कार्यान्वयन किया गया।

सोलर लाइट के अधिष्ठापन पर अधिक/परिहार्य व्यय

बिहार सरकार के निर्देशानुसार सोलर लाइटों का क्रय, राज्य क्रय संगठन (रा.क्र.सं.) द्वारा निर्धारित दर पर किया जाना चाहिए था। परंतु, एक पं.स. एवं चार ग्रा.पं. ने वर्ष 2010–12 के दौरान 56 सोलर लाइटों का क्रय स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 39,867 से ₹ 61,740 प्रति इकाई की दर से किया, जबकि रा.क्र.सं. का दर ₹ 26,684 प्रति इकाई (2010–12) थी। इसके कारण ₹ 15.13 लाख का अधिक/परिहार्य व्यय हुआ।

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति द्वारा जवाब दिया गया जिला द्वारा रा.क्र.सं. की दर से संबंधित कोई पत्राचार नहीं किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सभी इकाइयों को रा.क्र.सं. की दर उपलब्ध करायी गयी थी।

असमायोजित अग्रिम

जिला परिषद्, दो पं.स. और दो ग्रा.पं. में 42 कार्यों में ₹ 1.06 करोड़ का अग्रिम (जुलाई 2015) एक से चार वर्षों तक असमायोजित था ***(परिशिष्ट–2.19)***।

प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

2.1.8.6 जिला परिषद् मधेपुरा

पूर्व ***कंडिकाओं 2.1.8.1 एवं 2.1.8.5*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., तीन पं.स. एवं सात ग्रा.पं. में 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 849 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 326 कार्य (38 प्रतिशत) ही लिये गए। तथापि, ₹ 3.39 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी 106 कार्य (33 प्रतिशत) एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे ***(परिशिष्ट–2.13)***। आगे, पं.स. चानन एवं ग्रा.पं. लाखोचक में वर्ष 2010–15 के दौरान वा.का.यो. में 13 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 26.98 लाख अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़कों, नालियों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

वर्ष 2010–13 के दौरान जि.प., एक पं.स. एवं सात ग्रा.प. द्वारा ₹ 92.58 लाख के 34 कार्य वा.का.यो. से इतर कार्यान्वित करायी गयीं ***(परिशिष्ट–2.15)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किये जाने के कारण उस पर किए गए व्यय को जिले को विमुक्त किये जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर कार्यों को सौंपा जाना

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर जि.प. द्वारा दो का.अ. को ₹ 1.92 करोड़ के वर्ष 2013–15 के दौरान सात से चौबीस कार्य (49 कार्य) सौंपे गए ***(परिशिष्ट–2.16)*** जिनमें से 39 कार्य (80 प्रतिशत) जून 2015 तक अपूर्ण थे।

असमायोजित अग्रिम

जिला परिषद्, दो पं.स. एवं तीन ग्रा.पं. में 37 कार्यों मे दिए गए ₹ 1.09 करोड़ का अग्रिम एक से चार वर्षों तक (जून 2015) असमायोजित था ***(परिशिष्ट–2.19)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.1.8.7 जिला परिषद् पटना

पूर्व ***कंडिका 2.1.8.1, 2.1.8.3, 2.1.8.5*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., पांच पं.स. एवं 13 ग्रा.पं. में 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 1437 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 656 कार्य (46 प्रतिशत) ही लिये गए। तथापि, ₹ 1.39 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी 184 कार्य (28 प्रतिशत) एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे ***(परिशिष्ट–2.13)***। आगे, तीन पं.स. एवं सात ग्रा.पं. में वर्ष 2011–15 के दौरान वा.का.यो. में 88 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 85.57 लाख अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़कों, नालियों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

तीन पं.स. एवं सात ग्रा.प. द्वारा वा.का.यो. से इतर ₹ 1.26 करोड़ के 231 कार्यों को कार्यान्वित किया गया ***(परिशिष्ट–2.15)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किए जाने के कारण उस पर किए गए व्यय को जिले को विमुक्त किए जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

अलाभकारी व्यय

कार्यों के पूर्ण नहीं होने के कारण ₹ 16.19 लाख (2010–12) के चार कार्य अलाभकारी साबित हुए। मु.का.प., जि.प. द्वारा बताया गया कि स्थल विवाद के कारण कार्यों को छोड़ दिया गया।

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर कार्यों को सौंपा जाना

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर जि.प. द्वारा चार अभिकर्त्ताओं को ₹ 28.33 लाख के चार से छः कार्य (20 कार्य) दिए गए (2013–14) ***(परिशिष्ट–2.16)***। परिणमस्वरूप छः कार्य (30 प्रतिशत) अप्रैल 2015 तक अपूर्ण थीं।

उच्च प्राधिकारी की संस्वीकृति से बचने के लिए कार्यों का विभाजन

ग्राम पंचायत कुम्हारा और सिंही में उच्चत्तर प्राधिकारियों की संस्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ₹ 9.78 लाख के तीन कार्यों को छः कार्यो में विभक्त कर दिया गया जबकि जि.प. द्वारा ₹ 7.5 लाख एवं इससे अधिक की ₹ 17.48 लाख के दो कार्य निविदा द्वारा कराने की बजाय विभागीय कराया गया ***(परिशिष्ट–2.18)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया गया।

अव्ययित अवशेषों की वापसी

जिला परिषद् द्वारा जि.अ. को वा.का.यो. में अनुमोदित कार्यों के विरूद्ध निधि उपलब्ध कराया गया। अव्ययित अवशेष जि.प. को कार्यक्रम में उपयोग हेतु वापस करना था।

जि.प. द्वारा 27 कार्यों के लिए ₹ 20.05 लाख विमुक्त किया गया (2011–14)। परंतु, एक से तीन वर्ष बीतने के बावजूद जि.अ. द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि जि.अ. को शीघ्र कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

असमायोजित अग्रिम

जि.प., चार पं.स. और चार ग्रा.पं. में 111 कार्यों मे दिए गए ₹ 89.92 लाख का अग्रिम एक से पांच वर्षों तक असमायोजित (मई 2015) था ***(परिशिष्ट–2.19)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.1.8.8 जिला परिषद् सहरसा

पूर्व ***कंडिका 2.1.8.1, 2.1.8.3, 2.1.8.5*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., पांच पं.स. एवं 13 ग्रा.पं. में 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 412 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 274 कार्य (67 प्रतिशत) ही लिये गए। तथापि, ₹ 1.14 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी 67 कार्य (25 प्रतिशत) एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे ***(परिशिष्ट–2.13)***। आगे, पं.स. सत्तर कटैया में वर्ष 2011–13 एवं 2014–15 के दौरान वा.का.यो. में 49 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 45 लाख अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़कों, नालियों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

कार्यपालक पदाधिकारी, सत्तर कटैया ने जवाब दिया कि पिछले वर्ष के कार्य को पूरा करने के लिए नए कार्य नहीं लिए गए। पंचायत सचिव, पटोरी ने जवाब दिया कि राशि की कमी के कारण कार्य नहीं लिए गए। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पंचायत निधि में ₹ 9.13 लाख उपलब्ध थी।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

तीन ग्रा.प. द्वारा वा.का.यो. से इतर ₹ 21.81 लाख की 22 कार्य कार्यान्वित किए गए ***(परिशिष्ट–2.15)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किए जाने के कारण उस पर किए गए व्यय को जिले को विमुक्त किए जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर कार्यों को सौंपा जाना

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर वर्ष 2012–15 मे जि.प. द्वारा केवल एक अभिकर्ता को एवं पं.स. सत्तर कटैया द्वारा दो अभिकर्ताओं को ₹ 3.21 करोड़ के 4 से 60 कार्य (कुल 80 कार्य) सौंपे गए ***(परिशिष्ट–2.16)***। परिणामस्वरूप, 42 कार्य (52 प्रतिशत) अपूर्ण रहीं (मई 2015)।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जि.प. ने बताया कि बोर्ड की बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में कार्य कराए गए। का.प. सत्तर कटैया ने बताया कि एक से अधिक ग्रा. पं. का अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण पंचायत सचिव को तीन से अधिक कार्य सौंपे गए थे।

अअनुमत्य व्यय

जिला परिषद् द्वारा ₹ 3.58 लाख (2010–13) का अअनुमत्य व्यय किया गया ***(परिशिष्ट–2.17)***। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि पि.क्षे.अ.नि. के लेखापरीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए पं.रा.वि. द्वारा अलग से कोई आवंटन नहीं दिया गया था अतः संदर्शी योजना अनुदान की ₹ 3.40 लाख का उपयोग लेखापरीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए किया गया और पं.रा.वि. को इस संबंध में सूचना दे दी गयी थी।

योजना में अनुचित लाभ दिया जाना

ग्राम पंचायत इटहरी में ₹ 0.80 लाख के 12 चापाकलों को 12 लाभुकों में अनियमित रूप से दो बार बांटा गया।

उच्च प्राधिकारी की संस्वीकृति से बचने के लिए कार्यों का विभाजन

छः ग्रा.पं. में उच्च प्राधिकारियों की स्वीकृति लेने से बचने के लिए ₹ 57.91 लाख की छः कार्यो को 39 कार्यों में विभक्त कर दिया गया ***(परिशिष्ट–2.18)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया गया।

असमायोजित अग्रिम

अठाईस कार्यों मे दिए गए ₹ 68.25 लाख का अग्रिम जि.प., दो पं.स. और ग्रा.पं. इटहरी में एक से चार वर्षों तक असमायोजित था ***(परिशिष्ट–2.19)***। आगे, जि.प. एवं पं.स. सत्तर कटैया द्वारा अभिकर्ता को 130 कार्यों में प्राक्कलित राशि का 33 से 70 प्रतिशत अग्रिम दिया गया ***(परिशिष्ट–2.20)***। परिणामतः वर्ष 2010–15 के दौरान जि.प. के सहायक अभियंता द्वारा अग्रिम की राशि अपने व्यक्तिगत बैंक खाता में रखा गया जिससे उन्हें ₹ 3.42 लाख ब्याज प्राप्त हुआ। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

2.1.8.9 जिला परिषद् समस्तीपुर

पूर्व ***कंडिका 2.1.8.1 एवं 2.1.8.5*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., चार पं.स. एवं 14 ग्रा.पं. में 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 912 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 335 कार्य (37 प्रतिशत) ही लिये गए। तथापि, ₹ 2.78 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी 136 कार्य (41 प्रतिशत) एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे ***(परिशिष्ट–2.13)***। आगे, जि.प. एवं 10 ग्रा.पं. में वर्ष 2010–15 के दौरान वा.का.यो. में 262 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 1.71 करोड़ अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़कों, नालियों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

चार पं.स. एवं आठ ग्रा.प. द्वारा वा.का.यो. से इतर ₹ 1.08 करोड़ की 42 कार्य कार्यान्वित की गयीं ***(परिशिष्ट–2.15)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किए जाने के कारण उस पर किए गए व्यय को जिले को विमुक्त किए जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर कार्यों को सौंपा जाना

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर जि.प. द्वारा एक समय में ₹ 4.87 करोड़ के 40 से 73 कार्य (155 कार्य) तीन अभिकर्ताओं को सौंपा गया (2012–15) जिनमें से 52 कार्य (34 प्रतिशत) अपूर्ण थे (जुलाई 2015) ***(परिशिष्ट–2.16)***।

अअनुमत्य व्यय

जिला परिषद् एवं दो पं.स. द्वारा ₹ 10.51 लाख का व्यय अअनुमत्य उद्देश्यों पर किया गया ***(परिशिष्ट–2.17)***। जिला अभियंता द्वारा प्राक्कलन में एक प्रतिशत आकस्मिकता का प्रावधान किया गया और ₹ 6.94 लाख कार्यों के विपत्र से कटौती की गयी जिसके विरूद्ध पि.क्षे.अ.नि. मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए जिला अभियंता द्वारा ₹ 2.02 लाख का व्यय किया गया था। मु.का.प. द्वारा बताया गया कि कटौती की गयी राशि का उपयोग कार्यालय स्टेशनरी के क्रय में किया गया।

अव्ययित अवशेषों की वापसी

जिला परिषद् द्वारा पांच कार्यों के लिए जिला अभियंता को ₹ 46.12 लाख विमुक्त किया गया (2008–09) था परंतु एक से छः वर्ष बीतने के बावजूद ₹ 21.73 लाख जिला अभियंता के पास पड़ा हुआ था।

असमायोजित अग्रिम

जिला परिषद्, चार पं.स. एवं चार ग्रा.पं. में 93 कार्यों में दिए गए ₹ 1.20 करोड़ के अग्रिम एक से सात वर्षों तक असमायोजित थे ***(परिशिष्ट–2.19)***। प्रधान सचिव, पं.रा. वि. द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

2.1.8.10 जिला परिषद् सीतामढ़ी

पूर्व ***कंडिका 2.1.8.1, 2.1.8.3, 2.1.8.5*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., तीन पं.स. एवं 14 ग्रा.पं. में 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 1294 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 600 कार्य (46 प्रतिशत) ही लिये गए ***(परिशिष्ट–2.13)***। आगे, सात ग्रा.पं. में वर्ष 2011–13 एवं 2014–15 के दौरान वा.का.यो. में 30 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 17.80 लाख अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़कों, नालियों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

एक पं.स. एवं नौ ग्रा.पं. द्वारा वा.का.यो. से इतर ₹ 1.28 करोड़ की 114 योजनाएं कार्यान्वित की गयी ***(परिशिष्ट–2.15)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किए जाने के कारण उस पर किए गए व्यय को जिले को विमुक्त किए जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर कार्यों को सौंपा जाना

वर्ष 2010–14 के दौरान जि.प. द्वारा ₹ 4.26 करोड़ लागत के 194 कार्य कार्यान्वित कराये गए। सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर जि.प. द्वारा ₹ 3.34 करोड़ के 162 कार्य सहायक अभियंता को दिए गए जिसमें से 34 कार्य (21 प्रतिशत) एक से चार वर्ष तक अपूर्ण थीं ***(परिशिष्ट–2.16)***।

अअनुमत्य व्यय

जिला परिषद् एवं दो पं.स. द्वारा पि.क्षे.अ.नि. के अंतर्गत ₹ 41.71 लाख लागत का अअनुमत्य कार्य (2012–14) लिया गया ***(परिशिष्ट–2.17)***। का.प., पं.स. रून्नीसैदपुर और सुरसंड ने बताया कि कार्य जि.यो.स. से अनुमोदित थी इसलिए उन्हें कार्यान्वित किया गया जबकि मु.का.प., जि.प. ने बताया कि जि.प. में तत्त्कालीन मु.का.प. द्वारा क्रय किया गया था।

उच्च प्राधिकारी की संस्वीकृति से बचने के लिए कार्यों का विभाजन

चार ग्रा.पं. में उच्चत्तर प्राधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने की अनिवार्यता से बचने के लिए ₹ 15.27 लाख के चार कार्यों को 16 कार्यों में विभक्त कर दिया गया था***(परिशिष्ट–2.18)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया।

अव्ययित राशि की वापसी

जिला परिषद् ने 30 अनुमोदित कार्यों के लिए ₹ 56.62 लाख जिला अभियंता को विमुक्त (अगस्त 2010 से दिसंबर 2013) किया था परंतु, जिला अभियंता द्वारा दो से पाँच वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कोई कार्य नहीं कराया गया जिसके कारण राशि अवरूद्ध रही। मु.का.प., जि.प. द्वारा बताया गया कि जिला अभियंता से इस संबंध में जवाब मांगा जा रहा है।

असमायोजित अग्रिम

सत्रह कार्यों मे दिए गए ₹ 12.55 लाख का अग्रिम जि.प., पं.स. नानपुर और ग्रा.पं. गिद्धा फुलवरिया में एक से चार वर्षों तक असमायोजित था ***(परिशिष्ट–2.19)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

अनुशंसाः पं.रा.सं. द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका/सरकार के निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए और अग्रिम का समायोजन नियमानुसार किया जाना चाहिए।

2.1.9 संयुक्त भौतिक सत्यापन

वर्ष 2010–15 के दौरान पि.क्षे.अ.नि. के अंतर्गत तीन जि.प., 11 पं.स. एवं 32 ग्रा.पं. में कार्यान्वित 259 कार्यों यथाः सड़क, चापाकल, शौचालय, सामुदायिक भवन इत्यादि का संयुक्त भौतिक सत्यापन संबंधित पं.रा.सं. के कनीय अभियंता एवं पंचायत सचिव के साथ किया गया।

सहरसा जिला के दो ग्रा.पं. (रसलपुर एवं इटहरी) में 185 चापाकल ग्रा.पं. द्वारा अधिष्ठापन किए जाने की बजाय लाभुकों के बीच वितरित किए गए। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 185 चापाकलों में से 78 चापाकल जिसकी लागत ₹ 2.65 लाख थी, लाभुकों को उपलब्ध नहीं कराया गया था। ग्रा.पं. सेधान भोजपुर में ₹ 0.65 लाख की लागत के 11 चापाकल उन नियत स्थलों पर नहीं लगाये गए थे जिनकी प्रविष्टी मापीपुस्त में की गयी थी। 225 चापाकल में से 77 चापाकलों का अधिष्ठापन किया गया था ***(परिशिष्ट–2.21)*** और 13 शौचालय में से चार शौचालय का निर्माण पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए निजी परिसर में किया गया था ***(परिशिष्ट–2.22)***।

लखीसराय, पटना एवं सीतामढ़ी जिलों में ₹ 27.47 लाख के सात कार्य (सड़क एवं चबूतरा निर्माण) क्षतिग्रस्त पाए गए। तीन जिलों (पटना, मधेपुरा और समस्तीपुर) में आंगनवाड़ी केंद्र, कल्वर्ट इत्यादि के निर्माण के नौ कार्य ₹ 42.65 लाख का व्यय करने के बाद छोड़ दिए गए थे ***(परिशिष्ट–2.22)***।

2.1.10 आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के कार्यो के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत एवं कार्यकारी नियंत्रण एवं निगरानी की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित निष्कर्ष परिलक्षित हुएः

रोकड़बही का बैंक के साथ समाशोधन किया जाना

बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 में निहित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बही का प्रतिदिन मिलान किया जाएगा एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा प्रत्येक माह के अंत में, अंतशेषों के समाधान को दर्शाती विवरणी को रोकड़बही में दर्ज किया जाना है।

दो जि.प. एवं दो पं.स. में रोकड़बही का अंतशेष बैंक पास बुक के अंतशेष से ₹ 79.60 लाख अधिक था ***(परिशिष्ट–2.23)*** जबकि दो जि.प. एवं 15 पं.स. में बैंक पासबुक का

अंतशेष रोकड़बही के अंतशेष से ₹ 3.60 करोड़ अधिक था ***(परिशिष्ट–2.24)*** जिसने इंगित किया कि पं.रा.सं. द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया।

जिला में सहयोगी समीक्षा एवं समीक्षा समिति का गठन

ग्राम पंचायत एवं पं.स. द्वारा कार्यान्वित कार्यों की प्रगति का सहयोगी समीक्षा करने का प्रावधान पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका में किया गया। यह भी परामर्शित था कि इस प्रकार के सहयोगी समीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा करने हेतु जिला नियोजन समिति के द्वारा समीक्षा समिति के गठन हो। परंतु, वर्ष 2010–15 के दौरान किसी भी नमूना जांचित जिलों में सहयोगी समीक्षा नहीं की गयी।

गुणवत्ता निगरानी की प्रणाली का गठन

राज्य सरकार द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु गुणवत्ता निगरानी की प्रणाली तैयार करने हेतु निर्देश जारी (सितंबर 2010) किया गया था जिसकी समीक्षा जि.यो.स. द्वारा नियमित रूप से की जानी थी। किसी भी नमूना जांचित जिलों में इस प्रकार की समीक्षा जि.यो.स. द्वारा नहीं की गयी।

सामाजिक अंकेक्षण का संचालन

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया था। उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्देश (अप्रैल 2010) दिया गया कि सामाजिक अंकेक्षण किए जाएं तथा इसके लिए दिशानिर्देश भी जारी किया गया था (सितंबर 2010)। बाद में, उच्च स्तरीय समिति ने मनरेगा के दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण को अनुमोदित (जुलाई 2012) किया। परंतु, 10 नमूना जांचित जिलों में से किसी में भी सामाजिक अंकेक्षण संचालित नहीं (2010–15) किए गए।

प्रधान सचिव, पं.रा.वि. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमत थे और उस पर अपनी चिंता व्यक्त की।

अनुशंसा : राज्य सरकार को निगरानी समिति के गठन हेतु कदम उठाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखों का समाशोधन एवं पं.रा.सं. द्वारा किये जा रहे कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण नियमित रूप से हो रहा है।

2.1.11 निष्कर्ष

मांग प्रेषण में विलंब एवं कम व्यय के कारण राज्य को विकास एवं क्षमतावर्द्धन अनुदान के बड़े हिस्से से वंचित रहना पड़ा। पं.रा.सं. को निधि की विमुक्ति में विलंब हुआ लेकिन राज्य सरकार द्वारा पं.रा.सं. को कोई ब्याज की राशि नहीं दी गयी।

आयोजना की प्रक्रिया संतोषप्रद नहीं थी क्योंकि दृष्टिकोण पत्र एवं परिप्रेक्ष्य योजना तैयार होने के बावजूद पं.रा.सं. द्वारा कार्यो का कार्यान्वयन जि.प. एवं पं.स. के निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर किया गया।

सरकारी निर्देशों, योजना मार्गदर्शिका इत्यादि के उल्लंघन के कारण योजना के अंतर्गत कार्यों का कार्यान्वयन नहीं हुआ। वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित कार्यों एवं निधि की उपलब्धता के बावजूद कार्यों को नहीं लिया जा सका।

निगरानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी क्योंकि सहयोगी समीक्षा एवं सामाजिक अंकेक्षण किसी भी नमूना जांचित जिला परिषद् में नहीं कराया गया।